



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)



Office Order No. 60 of 2022

**Sub : Special Campaign to identify and dispose of pending references –
Review, Recording, weeding out of Record/Proceedings.**

Ref. : Office Order No.59 of 2022 dated 16.09.2022

Attention is invited to above mentioned Office Order regarding recording and weeding out of Records/Proceedings - Special Campaign 2.0. There are two phases of this special campaign 2.0 – (i) Preparatory Phase from 14th September to 30th September and (ii) Implementation Phase from 2nd October 2022 to 31st October 2022.

2. In view of above, Record Branch has identified the proceedings for review as per the list enclosed.

3. It is requested that a compulsory physical review of these proceedings may be undertaken by the concerned branch (SO/DD) in Record Room (Room No.42 A) itself from 03rd October to 12th October, 2022. Thereafter, Record branch would be sending these proceedings to the branches mentioned in the list for necessary action, in case the review is not completed by the concerned unit in Record Room itself.

4. Suitable direction may be given by the concerned AM/PED/ED to their DD/SO for undertaking the review at Record Branch from 3rd October to 12th October or thereafter in their branch itself. Any request for not accepting the proceedings due for review would not be entertained.

No.2022/O&M/4/1
Dated 30/09/2022

(B. Majumdar)
Adviser(Admn.)/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW and at Dayabasti, New Delhi.

Copy to :

Advisor/MR, OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, Additional PS/MR

**Special Campaign to identify and dispose of pending references –
Review, Recording, weeding out of Record/Proceedings
(List of Branches for review of Proceedings)**

S.No.	Name of Branches	No. of Proceedings
1.	CE-II	364
2.	Coaching	365
3.	Dev Cell	36
4.	E(GC)	1353
5.	E(GP)	119
6.	E(GR)-I	411
7.	E(MPP)	196
8.	E(NG)-II	233
9.	E(O)-I	199
10.	E(O)-II	205
11.	E(SCT)-I	32
12.	E(TRG)	271
13.	E(W)	127
14.	Elec.(Dev)	58
15.	Elec.(TRS)	128
16.	Elect(G)	867
17.	ERB(IV)	526
18.	ERB-III	946
19.	F(S)-I	22
20.	G(Acc)	227
21.	Health	1053
22.	Hindi(OL)-I	132
23.	Infra	171
24.	LM(L)	635
25.	LMB	136
26.	M(C)	256
27.	O&M	307
28.	PR	102
29.	RE(E)	234

30.	Sec.(ABE)	779
31.	Sec.(E)	1532
32.	Sec.(Int)	206
33.	Sec.(IVG)	607
34.	Sec.(Spl.)	180
35.	TC(FM)	393
36.	TC-I	83
37.	Tele	55
38.	TG-I	91
39.	TG-IV	128
40.	Track-III	63
41.	TT-III	162
42.	TT-III(F)	109
43.	TT-III(M)	96
44.	TT-III(S)	158
45.	TT-IV	153
46.	TT-V	37
47.	Vig.-II	417
48.	Vig.-C	150
49.	W-I	385

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2022 का कार्यालय आदेश सं. 60

विषय: लंबित संदर्भों की पहचान करने और निपटान करने के लिए विशेष अभियान-
अभिलेखों/कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग, समीक्षा और छंटाई

संदर्भ: दिनांक 16.09.2022 का कार्यालय आदेश सं. 59

आपका ध्यान उपर्युक्त कार्यालय आदेश की ओर आकृष्ट किया जाता है जो अभिलेखों/कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग और छंटाई - विशेष अभियान 2.0 के संबंध में है। इस विशेष अभियान 2.0 के दो चरण हैं - i) प्रारंभिक चरण 14 सितंबर से 30 सितंबर तक और ii) कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक।


2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड शाखा द्वारा समीक्षा के लिए कार्यवाहियों की पहचान की गई है जो संलग्न सूची के अनुसार की गई है।

3. अनुरोध है कि संबंधित शाखा (अनुभाग अधिकारी/उपनिदेशक) द्वारा रिकॉर्ड रूम (रूम नं. 42 ए) में ही 03 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2022 तक इन कार्यवाहियों की अनिवार्य रूप से भौतिक समीक्षा की जाए। तत्पश्चात् यदि संबंधित इकाई द्वारा रिकॉर्ड रूम में ही समीक्षा पूरी नहीं की जाती है तो रिकॉर्ड शाखा इन कार्यवाहियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूची में उल्लिखित शाखाओं को भेजेगी।

4. संबंधित अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक द्वारा उनके उपनिदेशक/अनुभाग अधिकारी को 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक रिकॉर्ड शाखा में समीक्षा करने के या उसके बाद अपनी शाखा में समीक्षा करने के उपर्युक्त निर्देश दिए जाएं। इसके बाद समीक्षा करने के लिए किसी भी कार्यवाही को स्वीकार नहीं करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

सं. 2022/ओएंडएम/4/1

दिनांक: 30/09/2022



(बी. मजुमदार)

सलाहकार(प्रशासन)/रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय, कॉफ़मो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएँ।

प्रतिलिपि प्रेषित:

सलाहकार/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री,
अपर निजी सचिव/रेल मंत्री

**लंबित संदर्भों की पहचान करने और निपटान करने के लिए विशेष अभियान-अभिलेखों/कार्यवाहियों
की रिकॉर्डिंग, समीक्षा और छंटाई
(कार्यवाही की समीक्षा के लिए शाखाओं की सूची)**

क्रम.सं.	शाखा का नाम	कार्यवाहियों की संख्या
1.	सीई-II	364
2.	कोचिंग	365
3.	डेवलपमेंट सेल	36
4.	ई (जीसी)	1353
5.	ई (जीपी)	119
6.	ई (जीआर)-I	411
7.	ई (एमपीपी)	196
8.	ई (एनजी)-II	233
9.	ई (ओ)-I	199
10.	ई (ओ)-II	205
11.	ई (एससीटी)-I	32
12.	ई (टीआरजी)	271
13.	ई (डब्ल्यू)	127
14.	बिजली (डेवलप)	58
15.	बिजली (टीआरएस)	128
16.	बिजली (जी)	867
17.	ईआरबी (IV)	526
18.	ईआरबी III	946
19.	एफ (एस)-I	22
20.	जी (आवास)	227
21.	स्वास्थ्य	1053
22.	हिंदी (राजभाषा)-I	132
23.	अवसंरचना	171
24.	एलएम (एल)	635
25.	एलएमबी	136
26.	एम (सी)	256
27.	ओ एंड एम	307
28.	पीआर	102
29.	आरई (ई)	234

30.	सुरक्षा (एबीई)	779
31.	सुरक्षा (स्थापना)	1532
32.	सुरक्षा (आसूचना)	206
33.	सुरक्षा (आईवीजी)	607
34.	सुरक्षा (स्पेशल)	180
35.	टीसी (एफएम)	393
36.	टीसी-I	83
37.	टेली	55
38.	टीजी-I	91
39.	टीजी-IV	128
40.	ट्रैक-III	63
41.	टीटी-III	162
42.	टीटी-III(एफ)	109
43.	टीटी-III(एम)	96
44.	टीटी-III(एस)	158
45.	टीटी-IV	153
46.	टीटी-V	37
47.	सतर्कता-II	417
48.	सतर्कता-सी	150
49.	डब्ल्यू-I	385